बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/वि02-1041/2017 - 2958 पटना - 15 ,दिनांक :- 21/12/17

सेवा में,

महालेखाकार,
वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय – वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष – 2215–जलापूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0104–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभवित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष – 0104.31.05–सहायक अनुदान – परिसंपतियों के निर्माण मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत ₹800.00 लाख (आठ करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

2. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभवित क्षेत्र) के लिए वर्ष 2017–18 में योजना बजट में ₹3200.00 लाख का प्रावधान है। इस राशि में से ₹2400.00 लाख की निधि 'पंचायती राज मुख्यमंत्री निश्चय योजना' के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक रूप से आच्छादित गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डो में नल का जल देने हेतु हस्तांतरित किया जा चुका है। शेष राशि ₹800.00 लाख (आठ करोड़ रूपये) मात्र का व्यय राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना' के तहत "हर घर नल का जल" का कार्य सुनिश्चित करने तथा पाँच वर्षो के लिए रख-रखाव एवं परिचालन पर किया जाना है। इसके लिए यह राशि (₹800.00 लाख) बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाना है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष – 2215–जलापूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0104–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभवित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष – 0104.31.05–सहायक अनुदान – परिसंपतियों के निर्माण मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 691 दिनांक – 03–03–2016, संख्या – 1771 एवं 1772 दिनांक – 18–07–2017 इत्यादि तथा आवंटन आदेश संख्या – 371(आ) दिनांक– 21/12/17 के आलोक में राशि निकासी की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या – 5537, दिनांक – 24–06–2015 में निहित प्रावधानों के तहत उप निदेशक (मू0) –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि BTC–46 में विपत्र तैयार कर BTC Form–4 चालान के साथ विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या – 267, विपत्र कोड – K8448001200041 में अन्तरण द्वारा करायेंगे एवं चालान की एक प्रति अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव –सह– सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या – 2561 / वि0(2) दिनांक – 17–04–1998 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21.12.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक – 2958 पटना, दिनांक – 21/12/17

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक – 2958 पटना, दिनांक – 21/12/17

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव –सह– सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / निदेशक SPMU / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–I) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–II) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / निदेशक, पी0एम0यू0 / निदेशक, सी0सी0डी0यू0 / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी – 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव